अविलंब निर्गत

सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)
बिहार सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन सं.–5

विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू. आर. कोड स्कैन करें

अविलंब निर्गत

प्रेस विज्ञप्ति

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा) 30 मार्च 2022 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आठ अध्याय (शामिल) हैं जिसमें 'जिला अस्पतालों की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पटना में सीवरेज अवसंरचना के विकास पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 13 लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

अध्याय–II

जिला अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2014–15 से 2019–20 की अवधि के लिए पाँच जिलों (बिहारशरीफ, हाजीपुर, जहानाबाद, मधेपुरा और पटना) में जिला अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करने के लिए की गई थी।

योजना

- इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आई.पी.एच.एस.) की तुलना में बेड की कमी 52 और 92 प्रतिशत के बीच थी, जिसका अर्थ है कि जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या जनसंख्या के अनुरूप नहीं थी। दो जिला अस्पतालों को छोड़कर, उपलब्ध बेड बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत (जून 2009) बेडों के केवल 24 से 32 प्रतिशत तक थे। वास्तविक बेडों की संख्या को भी दस वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद स्वीकृत संख्या (मार्च 2020) तक नहीं बढ़ाया गया था।

- 2014 से 2020 तक डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और तकनीशियनों की लगातार कमी थी लेकिन विभाग ने उन्हें भरने के लिए कुल रिक्तियों को प्रकाशित नहीं किया था।

(कंडिका 2.1.7 एवं 2.1.7.1)

बाह्य रोगी सेवाएं (ओ.पी.डी.)

- नमूना–जाँचित जिला अस्पतालों ने कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ई.एन.टी. जैसी 12 से 15 महत्वपूर्ण बाह्यरोगी उपचारात्मक सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधारभूत संरचना जैसे भवन, उपकरण तथा फर्नीचर तथा फिक्सचर की कमी के कारण प्रदान नहीं की थी।

- सभी नमूना–जाँचित जिला अस्पतालों में पंजीकरण काउंटरों पर रोगी भार मानक से 13 प्रतिशत से 208 प्रतिशत तक अधिक था। बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, बाह्य रोगी विभाग में उपलब्ध डॉक्टरों की औसत संख्या समान रही, परिणामस्वरूप प्रति डॉक्टर ओ.पी.डी. मामले बहुत अधिक थे और परामर्श समय कम था।
- रोगियों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि 59 प्रतिशत ओ.पी.डी. रोगियों ने अपने खर्च पर दवा खरीदी थी।

(कंडिका 2.2.1, 2.2.2 एवं 2.2.4)

नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सेवाएं

- आई.पी.एच.एस. के अनुसार आवश्यक 121 नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सुविधाओं में से नमूना जाँच किए गए जिला अस्पतालों में से जि.अ.–हाजीपुर में अधिकतम नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सेवाएं उपलब्ध थी, जो भी केवल 33 प्रतिशत थी।
- नमूना–जाँच किए गए किसी भी जिला अस्पतालों में हृदय रोग के मामलों, स्ट्रोक एवं कैंसर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और स्ट्रोक के निदान और प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
- चार जिला अस्पतालों, जो जापानी इंसेफेलाइटिस (जे.ई.) प्रभावित जिलों में थे, के पास जे.ई. और चिकनगुनिया के परीक्षण हेतु नैदानिक सेवाएं प्रदान करने की सुविधा नहीं थी।

(कंडिका 2.3.1.1, 2.4.24 एवं 2.4.26)

अन्तः रोगी सेवाएं (आई.पी.डी.)

- दुर्घटना और आघात तथा मनोचिकित्सा वार्ड एवं संक्रामक रोगियों हेतु पॉजिटिव और निगेटिव आइसोलेशन वार्ड नमूना जाँच किए गए किसी भी जि.अ. में उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिका 2.4.1)

ऑपरेशन थियेटर (ओ.टी.)

- नमूना–जाँचित पाँच जिला अस्पतालों में से आपातकालीन सर्जरी के लिए ओ.टी. किसी भी जि.अ. में उपलब्ध नहीं थे, वैकल्पिक (एलेक्टिव) प्रमुख शल्य चिकित्सा के लिए ओ.टी तीन जिला अस्पतालों मे तथा नेत्र विज्ञान/ई.एन.टी. के लिए ओ.टी. दो जिला अस्पतालों में उपलब्ध थे।
- नमूना जाँच किए गए जिला अस्पतालों में ओ.टी. में आवश्यक दवाओं की कमी 64 से 91 प्रतिशत के बीच थी, जो रोगियों द्वारा आवश्यक दवाओं की बाहर से खरीद की संभावना को इंगित करता है। दो जिला अस्पतालों में, 23 दवाओं की संयुक्त कमी में से, 21 दवाओं के लिए माँग जिला अस्पताल द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार, अनुपलब्ध दवाओं की मांग तक नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.4.6 एवं 2.4.8.1)

सघन देखभाल इकाई (आई.सी.यू.)

- आई.सी.यू. सेवाएं केवल जि.अ.–जहानाबाद में उपलब्ध थी, लेकिन नर्सों, आवश्यक दवाओं और उपकरणों की कमी और बिना पैरामेडिकल स्टाफ जैसी प्रमुख कमियों के साथ।

(कंडिका 2.4.12)

कार्डिएक केयर यूनिट (सी.सी.यू.)

- नमूना–जाँच किए गए किसी भी ज़ि.अ. में इस्केमिक हृदय रोग, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी आपात स्थितियों के उपचार के लिए कार्डिएक केयर यूनिट (सी.सी.यू.) नहीं था।
- जि.अ.–हाजीपुर में उपकरण (जैसे सी.सी.यू. वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, कार्डिएक मॉनिटर, ई.सी.जी. मशीन आदि जो अब निष्क्रिय पड़ी हुई हैं) की उपलब्धता के बावजूद सी.सी.यू. इकाई अनुमोदन (सितंबर 2012) के पश्चात भी कार्य नहीं कर रही थी और 2014 से संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि (2021) तक बंद पड़ा था।

(कंडिका 2.4.24)

ब्लड बैंक

- बिहार में नौ जिला अस्पताल (जि.अ.–पटना सहित) बिना ब्लड बैंक के थे तथा जिला अस्पतालों में स्थित ब्लड बैंक (दो को छोड़कर) 2014–20 के दौरान वैध लाइसेंस के बिना चल रहे थे।
- चार नमूना–जाँच किए गए ब्लड बैंकों में से किसी ने भी हेपेटाइटिस–ए परीक्षण नहीं किया था।

(कंडिका 2.4.15.1, 2.4.15.3)

मातृत्व

- जि.अ.–हाजीपुर में केवल चार प्रतिशत मामलों में सभी चार ए.एन.सी. चेकअप सुनिश्चित किए गए थे। अन्य जिला अस्पतालों में यह सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- मृत जन्म दर के राज्य औसत जो 0.96 प्रति 100 जीवित जन्म थी, के तुलना में जि.अ. –मधेपुरा (2.17 प्रतिशत) तथा जि.अ.–बिहारशरीफ (1.63 प्रतिशत) में उच्च मृतजन्म दर पाई गई थी।
- नमूना जाँच किए गए जिला अस्पतालों में, ज़ि.अ.–बिहारशरीफ को छोड़कर, भंडार में उपलब्धता के बावजूद सभी गर्भवती महिलाओं को टी.टी. इंजेक्शन नहीं दिया गया था।
- सभी जिला अस्पतालों में उपकरणों की महत्वपूर्ण कमी (28 में से 9 से 16) पायी गयी जिसने प्रसूति मामलों में आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने की अस्पतालों की क्षमता से समझौता किया, जिसके कारण नमूना–जाँच किए गए तीन ज़िला अस्पतालों में 2014–20 की अवधि के दौरान 21 (ज़ि.अ. बिहारशरीफ–9, जि.अ. जहानाबाद–7, और जि.अ. हाजीपुर–5) मातृ मृत्यु हुई थी।

(कंडिका 2.5, 2.5.1.4 एवं 2.5.3.3)

बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (बी.एम.एस.आई.सी.एल.) की कार्यप्रणाली

- बी.एम.एस.आई.सी.एल. को राज्य के 38 जिलों के सभी अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी (मार्च 2014) सौंपी गयी थी। हालाँकि, यह अन्य जिलों में, विशेष रूप से पटना में, 2017–18 और 2018–19 के दौरान क्रमशः 70 ई.डी.एल. दवाओं (42 प्रतिशत) और 66 ई.डी.एल. दवाओं (30 प्रतिशत) की आपूर्ति नहीं कर पायी थी।

- बी.एम.एस.आई.सी.एल. ₹10,743 करोड़ के उपलब्ध निधि के मुकाबले केवल ₹3,103 करोड़ (29 प्रतिशत) व्यय कर सका। 2014–20 के दौरान बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा शुरू की गई कुल 1,097 परियोजनाओं में से केवल 187 ही पूरी हो सकीं जबकि 523 अभी भी प्रगति पर थीं और 387 (35.28 प्रतिशत) अभी शुरू होनी बाकी थीं।

(कंडिका 2.7.3.1 एवं 2.8.1.1)

अध्याय–III

'नमामि गंगे कार्यक्रम' के तहत पटना में सीवरेज अवसंरचना के विकास पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा।

- पटना शहर में सीवरेज निरूपण के लिए अपर्याप्त योजना थी क्योंकि एस.टी.पी. की स्वीकृत क्षमता वर्तमान सीवरेज डिस्चार्ज का आधा ही निर्वहन करने में सक्षम थी।

- कार्यों की गुणवत्ता अनुपयुक्त/दोषपूर्ण पाई गई और मूल धनराशि बैंक खातों में जमा कर दी गई। बुडको कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहा, क्योंकि सीवरेज नेटवर्क के साथ कोई एस.टी.पी. आज तक पूरा नहीं हुआ और गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में सीवरेज का निर्वहन वांछित रूप में पटना में रोका नहीं जा सका था।

प्रारूप कंडिकाएँ

- अनुपयुक्त योजना के कारण 455.45 एम.टी. डी.डी.टी. एवं 313.83 एम.टी. एस.पी. की खरीद से संबंधित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप ₹11.12 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2)

- अनुमान तैयार करने में आई.आर.सी. के प्रावधानों का पालन न करने और ठेकेदारों/स्थानीय निवासियों द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार तटबंध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उचित निर्णय लेने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹5.60 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा था।

(कंडिका 3.3)

- पथ निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित सड़क के हिस्से पर सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन से ₹ 6.85 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।

(कंडिका 3.4)

- बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के गैर–अनुपालन और जिला निर्वाचन कार्यालय के प्राधिकारियों के लापरवाही के परिणामस्वरूप एक से 36 वर्षो के बीच की अवधि के लिए 4388 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹15.19 करोड़ के असमायोजित अग्रिमों का संचय हुआ था।

(कंडिका 3.7)

अध्याय–IV

- वर्ष 2019–20 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹1,24,232.53 करोड़ थीं जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹33,857.58 करोड़ (27.25 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹90,374.95 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 72.75 प्रतिशत) था जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹63,406.33 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 51.04 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹26,968.62 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 21.71 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 4.1)

- प्रमुख राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2020 को बकाया राजस्व ₹4584.73 करोड़ था जिसमें से ₹1357.78 करोड़ पाँच वर्षो से अधिक समय से लंबित था।

(कंडिका 4.2)

- लेखापरीक्षा ने 1,265 मामलों में कुल ₹4,417.05 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 1,318 मामलों में ₹1,249.81 करोड़ स्वीकार किया जिसमें से ₹329.56 करोड़ के 151 मामले 2019–20 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। विभागों ने विगत वर्षों से सम्बंधित 207 मामलों में ₹16.08 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित (अप्रैल 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) किया था।

(कंडिका 4.5)

अध्याय–V

- कर–निर्धारण पदाधिकारी व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप आरोपित ब्याज सहित ₹1.10 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ था।

(कंडिका 5.3)

- कर–निर्धारण पदाधिकारी कर के गलत दर के लगाये जाने का पता लगाने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹2.87 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ था।

(कंडिका 5.4)

अध्याय–VI

- संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा 22,684 वाहनों का फिटनेस प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण जनवरी 2017 से जनवरी 2020 के अवधि में सुनिश्चित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹48.36 करोड़ (जाँच शुल्क ₹96.74 लाख, नवीनीकरण शुल्क ₹45.37 लाख एवं अतिरिक्त शुल्क ₹46.94 करोड़) की वसूली नहीं हुई थी।

(कंडिका 6.3)

- *वाहन* डाटाबेस में चूककर्त्ता वाहन मालिकों द्वारा मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं करने की जानकारी उपलब्ध हाने के बावजूद, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कर चूककर्त्ता सूची बनाने के लिए *वाहन* के कर तालिका की जाँच या समीक्षा नहीं की। परिणामस्वरूप, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्त्ताओं को कोई माँग पत्र जारी नहीं किया गया और फलस्वरूप ₹ 17.97 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई थी।

(कंडिका 6.4)

अध्याय–VII

2019–20 तक राज्य में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस.पी.एस.ई.) की संख्या 79 थी जिसमें 72 राज्य सरकार की कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगमें तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थी। हालाँकि, विगत तीन वर्षों के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, इस प्रतिवेदन में शामिल एस.पी.एस.ई. की संख्या 20 (17 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) थी।

(कंडिका 7.1.3)

- राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. को न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक हो। 2017–18 से 2019–20 के दौरान 10 से 12 लाभ अर्जित करने वाले एस.पी.एस.ई. में से केवल दो कम्पनियों यथा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹6.02 करोड़ कर सहित) तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹1.26 करोड़ कर सहित) ने लाभांश का भुगतान किया था।

(कंडिका 7.3.2)

अध्याय–VIII

- 79 एस.पी.एस.ई. में से 77 एस.पी.एस.ई. के 1,303 लेखे बकाया थे। इनमें से एक (बिहार स्कूटर्स लिमिटेड) का लेखा 1977–78 से बकाया है।

(कंडिका 8.3.2)

- कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान, पाँच एस.पी.एस.ई. के छः वित्तीय विवरणियों पर सी.ए.जी. द्वारा टिप्पणियाँ निर्गत की गई थी। निर्गत किए गए महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता पर ₹ 2,238.28 करोड़ तथा सम्पत्तियों/दायित्वों पर ₹ 4,949.14 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा था।

(कंडिका 8.5.2)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, बिहार, पटना

अधिकारी का नाम जिनसे विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है:–

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अधिकारी का नाम एवं पदनाम
प्रतिवेदन (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा) वर्ष 2021 का प्रतिवेदन सं0–5	**श्री अभिषेक सिंह, प्रवक्ता** **वरीय उप–महालेखाकार (प्रशासन)** कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना दूरभाष संख्या:**0612-2221941** (कार्यालय) फैक्स संख्या:**0612-2506223** **इस कार्यालय का** **बेवसाइट:www.ag.bih.nic.in** **ई–मेल:agaubihar@cag.gov.in** **singhabhishek@cag.gov.in** **श्री कुंदन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी** **(Media Officer)** **Mobile No.-** 9431624894